



2026:AHC:3320

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 19671 वर्ष 2025

श्रीमती सुषमा यादव

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : दिलीप सिंह यादव

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप सिंह यादव और राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री आर. के. श्रीवास्तव की के तर्कों को सुना।
- याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह मृतक सत्यभान सिंह की पत्नी हैं, जो कांस्टेबल के रूप में कार्यरत थे और 15.12.2003 को उनका निधन हो गया। याचिकाकर्ता अपने बेटे हिमांशु यादव की अनुकंपा नियुक्ति की मांग करती हैं।
- दिनांक 15.01.2015 को एक आदेश पारित किया गया जिसमें याचिकाकर्ता के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अनुकंपा नियुक्ति चाहने वाले आवेदक की माता पहले से ही प्राथमिक शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं, जैसा कि रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 15 में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, यह रिट याचिका 10 वर्ष की अवधि के बाद दिनांक 18.12.2025 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। इसके अतिरिक्त, हिमांशु यादव इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हैं।
- अतः, यह रिट याचिका निरस्त की जाती है।

7 जनवरी, 2026

आर.एस. तिवारी

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।